# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

मालीराम बनाम शाखा वन अधिकारी

मुकदमा संख्या / वर्ष 4 / 2022

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 16/9/2022 | वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष ने इस बात को लेकर पेश नस्थाई निषेधाज्ञा पत्र में कहा है वकील प्रतिवादी ने आपत्ति किया कि प्रतिवादी कुमार पुत्रा ने स्वयं मृत की मोरले रोड पर पेश किया गया है जो मुकेश रोड से बाड़ पर कब्जा किया जावे। वकील वादी ने कदम मुकदमा पर पेश करते हुए निवेदन किया। इनके उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि वादिया नि 13 सुरजीदेवी जो कि मृत है की मोर के मट बाड़ पर पेश हुआ है। इस स्थान पर मुकेश रोड बाड़ पर कब्जा किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त अधिनियम पश्चात | |

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान